



भारत का राजपत्र The Gazette of India



असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 7] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 6, 1983/पौष 16, 1904
No. 7] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 6, 1983/PAUSA 16, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

गृह मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 1983

का. आ. 7(ब).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 258 के खंड (1) द्वारा
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार सरकार को, उसकी पूर्व सहमति से,
आवश्यक सेवा अधिनियम, 1981 (1981 का 40) की धारा 3, 8 और 9 में
विनिर्दिष्ट प्रकार के आदेश करने में, जहां तक उनका संबंध (क) विद्युत शक्ति
के उत्पादन, प्रदाय और वितरण का कारबार करने वाले किसी स्थापन या उपक्रम
में किसी सेवा से है, और (ख) उक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड

(क) के उपखंड (12) और (15) में विनिर्दिष्ट राज्य विधान मंडल के निर्वाचन से संबंधित किसी सेवा से है, केन्द्रीय सरकार के कृत्य इस शर्त के अधीन समन्वेषित करते हैं कि ऐसे समन्वेषण के होते हुए भी उक्त कृत्यों का प्रयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जा सकता है ।

[सं. 1/11025/26/81-आइ एस यू एस डी-2]

एल. एन. गुप्त, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 1983

S.O. 7(E).—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 258 of the Constitution, the President hereby entrusts to the Government of Bihar, with its prior consent, the functions of the Central Government in making orders of the nature specified in sections 3, 8 and 9 of the Essential Services Maintenance Act, 1981 (40 of 1981), in so far as they relate to (a) any service in any establishment or undertaking dealing with the production, supply or distribution of power, and (b) any service in connection with elections to the Legislature of the State, specified in sub-clauses (xii) and (xv) of clause (a) of sub-section (1) of section 2 of the said Act, subject to the condition that notwithstanding such entrustment the said functions may also be exercised by the Central Government.

[No. 1/11025/26/81-IS. US (D. II)]

L. N. GUPTA, Jt. Secy.